

2018/00342

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम


रायसिंहनगर

बनाम विमला लक्ष्मण गोमजा बाबत

किस्म मुकदमा दुलती

मुकदमा नं. 148
1316/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/245 दिनांक 13/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>गोमजा</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>4411</u> की जमाबन्दी सम्वत् <u>2075</u> के खाता नं. <u>65</u> में खातेदार <u>विमला पति श्री कल्याण श्री कल्याण गोमजा</u> <u>बाबत</u> अंकित है। जिसका नाम <u>विमला लक्ष्मण</u> है। जिसकी <u>विमला लक्ष्मण श्री कल्याण गोमजा</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 13/5/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>4411</u> के खाता नं. <u>45</u> में दर्ज खातेदार <u>विमला लक्ष्मण श्री कल्याण गोमजा</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	


 उपजिला कलक्टर
 रायसिंहनगर-2018
 कैम्प कोर्ट गोमजा
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर